जयपुर विकास प्राधिकरण
की
पन्नाधाय नगर योजना डी–ब्लॉक में महिला सशक्तिकरण के क्रम में आवेदक महिला की दिनांक 20.11.17 को विधवा, परित्याक्ता की आयु 18 वर्ष या अधिक तथा अविवाहित एकल महिला की आयु 40 वर्ष या अधिक,

कमजोर आय वर्ग की महिलाओं के लिये भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन
हेतु
आवेदन प्रक्रिया
एवं
नियम व शर्तें

आवेदन करने की तिथि	:	20 नवम्बर 2017
आवेदन करने की अन्तिम तिथि	:	19 दिसम्बर 2017
लॉटरी की तिथि	:	02 जनवरी 2018

—: प्रस्तावना :—

महिला सशक्तिकरण के क्रम में आवेदक महिला की दिनांक 20.11.17 को विधवा, परित्याक्ता की आयु 18 वर्ष या अधिक तथा अविवाहित एकल महिला की आयु 40 वर्ष या अधिक महिलाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप भूखण्ड उपलब्ध कराने के प्रयास के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बेगस तहसील व जिला जयपुर में पन्नाधाय नगर आवासीय योजना ब्लॉक डी में विकसित की जा रही है।

- ❖ पन्नाधाय नगर योजना डी ब्लॉक आवासीय योजना के 349 भूखण्ड हेतु आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in अथवा ई–मित्र कियोस्क केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।
- ❖ योजनानुसार भूखण्डों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	संख्या	पंजीकरण राशि	कीमत
45.00	349	5,000/–	आरक्षित दर रू. 12000 का 25 प्रतिशत अर्थात 3000 प्रति व. मी.

नोटः– भूखण्डों की अनुमानित संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है। लॉटरी के माध्यम से आवंटित भूखण्ड को बदला नहीं जा सकेगा।

आवेदन की सामान्य शर्ते :–

- ❖ आवेदन एक ही फार्म/रजिस्ट्रेशन नम्बर से ही किया जाना है। भूखण्ड आवंटन कराने के लिए एक ही महिला द्वारा अलग–अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ पन्नाधाय डी ब्लॉक योजना में आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क रू. 200/– एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- ❖ योजना के लिए 5,000/– रूपये पंजीकरण राशि देय होगी।
- ❖ पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नगद ई–मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- ❖ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- ❖ योजना के भूखण्डों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अज्ञात कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं पाया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।
- ❖ योजना में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन की अंतिम तिथि तक की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।
- ❖ आवेदन फार्म में आवेदक को आधार नम्बर अंकित करना होगा, यदि आधार न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।
- ❖ महिला आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य हैं। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह होते है जिनकी आय आवेदन करते समय आवेदक की सकल आय में जोडी जाती है।
- ❖ महिला आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है की परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- ❖ मोबाइल नम्बर की सत्यता की जॉच पूर्ण नहीं होने की दशा में अर्थात् मोबाईल नम्बर स्वयं अथवा आश्रित सदस्य के नाम नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ महिला आवेदक आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवें एवं बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।
- ❖ गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ❖ असफल महिला आवेदक को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेज के NEFT के माध्यम से किया जायेगा

- ❖ महिला आवेदक आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए सकल मासिक आय के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।
- ❖ ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र कियास्क को पंजीकरण राशि रू. 5,000/– (प्रक्रिया शुल्क रू. 200 के अतिरिक्त) जमा कराने पर ई–मित्र कियास्क को 48/– अतिरिक्त देय होंगे।
- ❖ महिला आवेदन के दौरान महिला आवेदक यह सुनिश्चित करें आवेदक का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई. एफ.एस.सी. कोड सही हो तथा चालू स्थिति में हो जिससे असफल आवेदक को ऑनलाईन पंजीकरण राशि सही खाते में जमा हो सकें। गलत/अमान्य होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ❖ योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त सामान्य शर्तो के अतिरिक्त पन्नाधाय डी ब्लॉक आवासीय योजना में लॉटरी के माध्यम से आवंटित भूखण्डों के संबंध में शर्ते निम्नप्रकार से रहेगीः–

1. लॉटरी में सफल महिला आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
2. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीजडीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
3. लॉटरी में सफल आवंटी आवंटित भूखण्ड के पेटे जविप्रा परिसर स्थित आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खाता संख्या 675401700500 एवं IFSC Code- ICIC0006754 में ऑनलाईन पेमेन्ट कर सकता है।
4. महिला आवेदक स्वयं अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र 1,00,000 के आबादी वाले कस्बा/शहर में कोई आवासीय भूखण्ड/आवास (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
5. नियमानुसार आवंटन से 5 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि मे हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वूसल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।
6. भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस में कनिष्ठ अभियन्ता से संभालना होगा।
8. आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम–1974 के प्रावधान एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होगें।
9. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक आवास को मिलाकर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।
10. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
12. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
13. प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

1. आवेदन करने की प्रक्रिया :

1.1 योजना में भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई–मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

1.2 महिला आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित), IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

1.3 आनॅलाईन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

1.4 ई–मित्र कियोस्क पर आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नगद राशि के माध्यम से किया जा सकेगा। ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र सेवादाता द्वारा लेय राशि निम्न प्रकार होगी :–

1. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र में पंजीकरण राशि रू. 5000 (प्रक्रिया शुल्क रू. 200 अतिरिक्त) होने पर ई–मित्र कियोस्क द्वारा लेय राशि रू. 48/– होगी।

2. महिला आवेदक की पात्रता :

2.1 महिला राजस्थान की मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

2.2 आवेदक की वित्तीय वर्ष 2016–17 में सकल मासिक आय रूपये 10000/– तक होनी चाहिए।

2.3 आवेदक महिला की दिनांक 20.11.17 को विधवा, परित्याक्ता की आयु 18 वर्ष या अधिक तथा अविवाहित एकल महिला की आयु 40 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।

2.4 महिला आवेदक स्वयं उसके अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/आवास (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

2.5 महिला आवेदक के स्वंय के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है। जो योजना अवधि में चालू रहना चाहिए।

2.6 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महिला आवेदक के नाम/परिवार के सदस्य को गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नही हुआ हो।

2.7 <u>आवेदक को आवेदन पत्र में एक मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।</u>

3. महिला आवेदक की सकल मासिक आय का विवरण :

आवेदक के स्वयं एवं आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आधार पर होनी चाहिए। आवेदक की आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई प्राप्त आय सम्मिलित होगी (ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरती है उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा)।

4. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

4.1 महिला आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकती है ।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों की महिला कर्मचारी '	अनु. जनजाति की महिलाएँ	अनु. जाति महिलाएँ	विकलांग महिलाए	अधिस्वीकृत महिला पत्रकार	सैनिकों / सेवानिवृत सैनिकों की विधवाएँ 1. विधवा एवं आश्रित (शहीद सैनिकों के) 2. सैनिक विकलांग (महिला) 3. अन्य सैनिक (महिला)	अनारक्षित श्रेणी
10%	6%	9%	3%	2%	10%	60%

राज्य सरकार / उपक्रमों / राजकीय कम्पनियॉ की नियमितरूप से चयनीत कर्मचारी जोकि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होगी।

4.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदक को किया जायेगा।

4.3 जो महिला राजस्थान सरकार / राजकीय विश्वविद्यालय / राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसी महिलाओं को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी।

4.4 अनु. जाति / अनु. जनजाति की महिला सदस्य वह है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.5 विकलांग महिला वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुकी हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4.6 अधिस्वीकृत महिला पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत महिला पत्रकार की मान्यता दी गई हो।

4.7 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी एवं उनके परिवार में पत्नी ही आश्रितों की श्रेणी में आयेगी।

4.8 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करती है। उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक महिला ही आवेदन कर सकती है।

4.9 महिला सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार की कोई महिला सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन की पात्र नहीं होगी।

4.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में महिला आवेदक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगी।

4.11 शहीद सैनिक के परिवार से केवल परिवार की एक महिला सदस्य ही आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकती है। एक से अधिक महिला सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।

4.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

4.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

(अ) उन सैनिकों जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित महिला पात्र होगी।)

(ब) विकलांग सैनिक महिला (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. भी सम्मिलित है)

(स) अन्य महिला सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. भी सम्मिलित है)

4.14 महिला विकलांगो (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 3% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

5. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

5.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थिया द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./आधार कॉर्ड/ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

5.2 जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जॉच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

5.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में एक मुश्त जमा करानी होगी।

5.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।

5.5 आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

6. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :

6.1 प्राधिकरण में जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड लॉटरी तिथि से पूर्व एवं बाद में आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करके शेष राशि लौटाई जावेगी।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

7.1 लॉटरी में असफल महिला आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक

द्वारा आवेदन में अंकित बचत खाता संख्या तथा IFSC Code में हस्तान्तरित की जावेगी। विशेष परिस्थिति में जिन आवेदन की पंजीकरण राशि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा हुई है को उसी क्रेडिट कार्ड में हस्तान्तरित की जा सकती है।

7.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण :

8.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित आवास निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

8.2 एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

8.3 आवेदक द्वारा यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

8.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

8.5 आवेदन पत्र में नियम विरूद्व एवं गलत तथ्य देने पर।

8.6 पुरूष द्वारा आवेदन करने पर ।

8.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

9. अन्य महत्वूपर्ण शर्ते :

9.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे। योजना की आरक्षित दर रू. 12000 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है।

9.2 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

9.3 नियमानुसार आवंटन से 5 वर्ष तक भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। आवंटन से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि में हस्तान्तरण करने पर प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जायेगी।

9.4 भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के पांच साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन की पात्र नहीं होगी। इसके साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जावेगी।

9.5 आवंटी को भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।

9.6 प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

9.7 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

9.8 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

9.9 आवंटन के संबंध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, निर्देश लागू होंगे।

9.10 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ..... पत्नि/पुत्री .....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करती हूँ, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड, आवास अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगी।

(3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/प्लॉट/आवास मेरे (स्वयं/पति तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान/आवास आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं ..... पत्नि/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री .....

पुत्री/पत्नि श्री ..... जाति ..... निवासी.....

.....तहसील.....जिला.....

राज्य ..... की स्वंय एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू0.....

..... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बर .....हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं ..... पत्नि/पुत्री श्री .....शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री .....

पुत्री/पत्नि श्री ..... इस विभाग में .....

पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रू0 ..... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान : विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री .....

पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....

.....जिला ..... सम्भाग.....

राज्य ..... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

महिला सैनिक एवं सैनिक विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि ....

..... (रैंक) ..... (नाम) .....

..... (नम्बर) .....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपयें ..... प्रतिमाह हैं।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपयें ..... प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री ..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू0 ..... प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व महिला सैनिक हेतु)

मैं.....पत्नि/पुत्री.....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/श्रीमती/..... ..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .....पत्नी/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**)अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

महिला सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं.....पत्नि/पुत्री.....

आयु..... निवासी .....

..... शपथ पूर्व घोषणा करती हूँ, कि

(1) यह कि में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखती हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई अन्य आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं .....पत्नी/पुत्री श्री .....

शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता(**IPC**) अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / सुश्री .....

पुत्री / पत्नि श्री ..... निवासी.....

..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / सुश्री .....

पुत्री / पत्नि श्री ..... निवासी.....

.....तहसील ..... जिला .....

..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क / प्राधिकृत

दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति